राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक:प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि./2018–19 158546–882 जयपुर, दिनांक: 30/8/18

उप निदेशक/बाल विकास परियोजना अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
(समस्त)

विषय :– आंवटित बजट का उपयोग करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न प्रकार के दावें विचाराधीन होने के उपरान्त भी उनका भुगतान नहीं किया गया जिस कारण आवंटित बजट का उपयोग नहीं हुआ है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में दिनांक 31.08.2018 तक प्राप्त सभी दावों का भुगतान दिनांक 15.09.2018 तक कर कोई दावा विचाराधीन/बकाया न होने का प्रमाण–पत्र देते हुए सूचना इस कार्यालय को भेजे। भविष्य में प्राप्त होने वाले दावों का भी भुगतान शीघ्र किये जाने की व्यवस्था की जावें। बजट प्रावधान उपलब्ध होते हुए भी दावों को बकाया रखने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अगर किसी मद में बजट प्रावधान शेष नहीं हो तो कारण दर्शाते हुए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 73294–630 दिनांक 01.05.2018 के अनुसार मांग पत्र भेजे ताकि बजट आंवटन की कार्यवाही की जा सके।

जिन मदों में एक बारीय क्रय (One time purchage) कर भुगतान किया जाना है उन मदों में शीघ्र की क्रय की कार्यवाही कर बजट का उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे। समय पर बजट का उपयोग नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी ही उत्तरदायी होगें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2( )लेखा/ICDS/अं.क./म.बा.वि./2018–19 158883–887 जयपुर, दिनांक: 30/8/18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक पोषाहार
2. प्रभारी अधिकारी (स्टोर), मुख्यालय/प्रभारी अधिकारी NNM मुख्यालय
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय
4. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर